राजस्व वाद 74/2020
जीसीएमएस नंबर– 2020/00105
बंशीराम बनाम् रूकमा देवी वगैरह

**न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर**

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः 74/2021

**वादीगण–**

1. बंशीराम पुत्र कुशालराम , जाति–मेघवाल निवासी–सोनेली, तहसील जायल, नागौर।

**बनाम**

**प्रतिवादीगण –**

1. रूकमा देवी पत्नी लिछमणराम
2. बद्रीराम पुत्र लिछमणराम
3. महेन्द्र पुत्र लिछमणराम
4. प्रकाश पुत्र लिछमणराम
   जातियान मेघवाल निवासीगण सोनेली, तहसील जायल, नागौर।
5. तहसीलदार जायल जरिये सरकार।

उपस्थिति :–

1. श्री चन्द्राराम बिडियासार अधिवक्ता वादी की ओर से
2. श्री मुन्नीराम मालोदिया प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही।
4. प्रतिवादी संख्या 5 राजपैरोकार उपस्थित।

**दावा अन्तर्गत धारा 88 ,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**निर्णय**

दिनांक : 22/6/2022

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादी ने निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के बडेर की पुस्तैनी भूमि मौजा सोनेली तहसील जायल में खेत खसरा नं. 282 रकबा 2.8328 हैक्टेयर, खसरा नंबर 526 रकबा 2.7195 हैक्टेयर, खसरा नंबर 704 रकबा 2.0720 हैक्टेयर, खसरा नंबर 840/423 रकबा 0.9712 हैक्टेयर रहती चली आई है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने आपसी पारिवारिक जुबानी बंटवाड़ा सम्वत् 2072 की आखातीज को वाद पत्र के पैरा संख्या 2 के (क से ग) अनुसार कर लिया है उसी अनुसार कब्जा काश्त है जिसका बंटवाड़ा स्कीम निम्न प्रकार से है। वादी बंशीराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा सोनेली का खेत खसरा नंबर 282 रकबा 2.8328 हैक्टेयर में से 1.2950 हैक्टेयर उतरी भाग माफिक नजरीक्शानुसार , खसरा नंबर 526 रकबा 1.7195 हैक्टेयर मेंसे 1.0522 हैक्टेयर पश्चिमी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 रूकमा देवी, बद्रीनारायण, महेन्द्र व प्रकाश के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा सोनेली का खेत खसरा नंबर 282 रकबा 2.8328 हैक्टेयर में से 1.4974 हैक्टेयर दक्षिणी भाग माफिक नजरीक्शानुसार , खसरा नंबर 526 रकबा 1.7195 हैक्टेयर मेंसे 1.6673 हैक्टेयर पूर्वी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार, खेत खसरा नंबर 704 रकबा 2.0720 हैक्टेयर पूरा, खेत खसरा नंबर 840/423 रकबा 0.9712 हैक्टेयर पूरा रखा गया है। मौजा सोनेली का खेत खसरा नंबर 282 रकबा 2.8328 हैक्टेयर में से 0.0404 हैक्टेयर पश्चिम में रास्ते के रूप में राज्य सरकार के हक में छोड़ा गया है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के बीच आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा हो जाने से माफिक बंट अनुसार



22/6/2022
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

अलग–अलग सींव–नींव कायम हो जाने के बावजूद बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4 ने दिनांक 17.03.2021 को उपस्थित न्यायालय ईकबालिया जबाब पेश किया। जिसमें वादी की पहचान अधिवक्ता श्री चन्द्राराम बिडियासर ने तथा प्रतिवादी संख्या 1 3, 4 की पहचान अधिवक्ता मुन्नीराम मालोदिया ने की। ईकबालिया जबाब शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 बावजूद तलवी एवं सूचना होने के न्यायालय से गैर हाजिर रहने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 5 का सम्मन स्वयं से तामिल होकर पत्रावली संलग्न है , जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादीगण संख्या 1, 3, 4 द्वारा प्रकरण के संबंध में ईकबालिया जबाव पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाये जाने तथा प्रतिवादी संख्या 5 राजपैरोकार केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र बंशीराम पुत्र कुशालाराम के पेश हुवे तथा नकल जमाबन्दी ग्राम सोनेली तहसील–जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 210 प्रदर्श–1, खाता संख्या 211–प्रर्दश–2 पेश हुवे। अधिवक्ता वादी द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1,3, 4 द्वारा पत्रावली में जरिये ईकबालिया जबाब वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। तथा प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफीक ईकबालिया जबाब में वर्णित पैराज माफिक नजरीनक्शानुसार स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 ,3, 4 के हक बंट की भूमि का जरिये ईकबालिया जबाब आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक ईकबालिया जबाब वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त अनुसार नजरीनक्शा भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत ईकबालिया जबाब दिनांक 17.03.2021 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1, 3 से 4 के द्वारा प्रस्तुत ईकबालिया जबाब, प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 राजपैरोकोर केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक–पृथक हिस्सा अंकित है जिसके



उपखण्ड मजिस्ट्रेट (एस.डी.ओ.) जायल

अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत ईकबालिया जबाब दिनांक17.03.2021 में वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1, 3 से 4 ने आपसी सहमति के अनुसार खातेदारी घोषणा तथा माफिक काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है।

हमारी राय में मौजा सोनेली के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने–अपने हिस्से का नियमानुसार सहखातेदारी करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा खेत खसरा नं. 704, 840/423 की भूमि को यथावत प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के हक बंट में तथा शेष मुतदाविया खेत खसरा 282, 526 की भूमि में से हिस्से विशेष की भूमि का बंटवाड़ा चाहा है जो कि पूर्ण रूपेन से विभाजेन नहीं है अतः मौजा सोनेली के खेत खसरा नंबर 282, 526 की भूमि पूर्ण रूप से विभाजेन नहीं होने तथा पक्षकारान् के द्वारा हिस्से विशेष की भूमि बंटवारा चाहा जाने से हम वादी का वाद आंशिक स्वीकार कर दिनांक 27.12.2021 को प्राथमिक डिक्री के आदेश पारित किये गये थे।

जिसकी पालना में दिनांक तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 27.12. 2021 की पालना में प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक 2251 दिनांक 11.3.2022 को प्राप्त हुआ। प्राथमिक डिकी प्रस्ताव पर वकुलाय/पक्षकारान् को सुना गया। वकुलाय ने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल द्वारा पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर मौके पर उपस्थित होकर तैयार किया गया है, उपस्थित पक्षकारान् में वादी एवं प्रतिवादी बंशीराम, प्रकाश , महेन्द्र, रूकमा देवी, बद्रीनारायण ने बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है। मौके पर उपस्थित को नजरीनक्शानुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार किये जाने की पुष्टि मौतबिरान मंगलाराम व गणेश तथा भू.अभि.निरीक्षक मांगलोद की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर से होती है। जिन्होने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अतः मौजा सोनेली तहसील जायल में खेत खसरा नं. 282 रकबा 2.8328 हैक्टेयर, खसरा नंबर 526 रकबा 2.7195 हैक्टेयर, खसरा नंबर 704 रकबा 2.0720 हैक्टेयर, खसरा नंबर 840/423 रकबा 0.9712 हैक्टेयर भूमि का विभाजन सहखातेदारों के मध्य तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार हम वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार अंतिम डिकी किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

**– : : आदेश : : –**

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा सोनेली तहसील जायल में खेत खसरा नं. 282 रकबा 2.8328 हैक्टेयर, खसरा नंबर 526 रकबा 2.7195 हैक्टेयर, खसरा नंबर 704 रकबा 2.0720 हैक्टेयर, खसरा नंबर 840/423 रकबा 0.9712 हैक्टेयर भूमि का विभाजन सहखातेदारों के मध्य तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार अंतिम डिकी किया जाता है।

सहायक कलक्टर
(मु.) जायल

राजस्व वाद 74 / 2020
जीसीएमएस नंबर– 2020 / 00105
वंशीराम बनाम् रूकमा देवी वगैरह

1. वादी बंशीराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा सोनेली का खेत खसरा नंबर 282 रकबा 2.8328 हैक्टेयर में से 1.2950 हैक्टेयर उतरी भाग माफिक नजरीक्शानुसार , खसरा नंबर 526 रकबा 1.7195 हैक्टेयर मेंसे 1.0522 हैक्टेयर पश्चिमी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 4 रूकमा देवी, बद्रीनारायण, महेन्द्र व प्रकाश के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा सोनेली का खेत खसरा नंबर 282 रकबा 2.8328 हैक्टेयर में से 1.4974 हैक्टेयर दक्षिणी भाग माफिक नजरीक्शानुसार , खसरा नंबर 526 रकबा 1.7195 हैक्टेयर मेंसे 1.6673 हैक्टेयर पूर्वी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार, खेत खसरा नंबर 704 रकबा 2.0720 हैक्टेयर पूरा, खेत खसरा नंबर 840 / 423 रकबा 0.9712 हैक्टेयर पूरा रखा गया है।
3. मौजा सोनेली का खेत खसरा नंबर 282 रकबा 2.8328 हैक्टेयर में से 0.0404 हैक्टेयर पश्चिम में रास्ते के रूप में राज्य सरकार के हक में छोड़ा गया है।
4. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।
5. बैंक के रहन भूमि / खसरान के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 22/6/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

22/6/22
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, जायल

## अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
## (आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

वादीगण– राजस्व वाद संख्याः 74 / 2021

1. बंशीराम पुत्र कुशालराम , जाति–मेघवाल निवासी–सोनेली, तहसील जायल, नागौर।

**प्रतिवादीगण –** **बनाम**

1. रूकमा देवी पत्नी लिछमणराम
2. बद्रीराम पुत्र लिछमणराम
3. महेन्द्र पुत्र लिछमणराम
4. प्रकाश पुत्र लिछमणराम
   जातियान मेघवाल निवासीगण सोनेली, तहसील जायल, नागौर।
5. तहसीलदार जायल जरिये सरकार।

**उपस्थिति :–**

1. श्री चन्द्राराम बिडियासार अधिवक्ता वादी की ओर से
2. श्री मुन्नीराम मालोदिया प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 2 के पीडी प्रस्ताव मौके पर उपस्थित।
4. प्रतिवादी संख्या 5 राजपैरोकार उपस्थित।

**दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**– : : डिक्री आदेश : : –**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री चन्द्राराम बिडियासर अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1,3,4 अधिवक्ता मुन्नीलाल मालोदिया व प्रतिवादी संख्या 5 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा सोनेली तहसील जायल में खेत खसरा नं. 282 रकबा 2.8328 हैक्टेयर, खसरा नंबर 526 रकबा 2.7195 हैक्टेयर, खसरा नंबर 704 रकबा 2.0720 हैक्टेयर, खसरा नंबर 840 / 423 रकबा 0.9712 हैक्टेयर भूमि का विभाजन सहखातेदारों के मध्य तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी बंशीराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा सोनेली का खेत खसरा नंबर 282 रकबा 2.8328 हैक्टेयर में से 1.2950 हैक्टेयर उतरी भाग माफिक नजरीक्शानुसार , खसरा नंबर 526 रकबा 1.7195 हैक्टेयर मेंसे 1.0522 हैक्टेयर पश्चिमी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 4 रूकमा देवी, बद्रीनारायण, महेन्द्र व प्रकाश के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा सोनेली का खेत खसरा नंबर 282 रकबा 2.8328 हैक्टेयर में से 1.4974 हैक्टेयर दक्षिणी भाग माफिक नजरीक्शानुसार , खसरा नंबर 526 रकबा 1. 7195 हैक्टेयर मेंसे 1.6673 हैक्टेयर पूर्वी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार, खेत खसरा

22/6/2022

राजस्व वाद 74/2020
जीसीएमएस नंबर– 2020/00105
वंशीराम बनाम् रूकमा देवी वगैरह

नंबर 704 रकबा 2.0720 हैक्टेयर पूरा, खेत खसरा नंबर 840/423 रकबा 0.9712 हैक्टेयर पूरा रखा गया है।

3. मौजा सोनेली का खेत खसरा नंबर 282 रकबा 2.8328 हैक्टेयर में से 0.0404 हैक्टेयर पश्चिम में रास्ते के रूप में राज्य सरकार के हक में छोड़ा गया है।
4. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।
5. बैंक के रहन भूमि/खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 22/6/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

22/6/2022
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

**तीज – मुबलिग – बाबत्** –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22/06/2022 को जारी की गई।

| मुदायराह | रूपया | पैसे | मुदायराह | रूपया | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प वकालतनामा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | वजह सबूत महनताना वकील | | |
| महनताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| फीस कमिश्नर | | | फीस कमिश्नर | | |
| बाबत् इजराज हुक्मनामा | | | बाबत् हुराय हुक्मनामा | | |
| मुतफरिक | | | मुतफरिक | | |
| | | | दर0 तलबाना | | |
| मिजान | | | मिजान | | |

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

22/6/2022
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)